

ज्ञाप संख्या-3पुरा/प्र.-01/2002...../

सेवा में
महालेखाकार, बिहार, (ले0 एवं ह0)

वैदित्त पटेल पथ, पटना।

विषय:-

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारक /पुरास्थल ताराडीह (बोधगया), गया की चहारदिवारी का निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित कुल ₹ 64,31,300/- (चौंसठ लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

व्यय का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-03 के अधीन बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-0107-सांस्कृतिक संरचना, विपत्र कोड 03-4059600510107 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से होगा।

- उक्त बजट के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना हैं जिनके द्वारा आवश्यकानुसार प्रशासनिक स्वीकृत राशि का आवंटन निर्गत किया जायेगा एवं व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।
- राशि की निकासी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, गया द्वारा जिला कोषागार, गया से की जायेगी तथा प्रशासनिक स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
- प्रशासनिक स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पादन के उपरान्त कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा भवन निर्माण विभाग को कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी समर्पित किया जायेगा।
- चहारदिवारी निर्माण कार्य का अनुश्रवण तथा देख-रेख जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा किया जायेगा।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव में प्रधान सचिव के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(तारानन्द महतो वियोगी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक...../2020

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(तारानन्द महतो वियोगी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 541/

पटना, दिनांक 14/01/2020

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(तारानन्द महतो वियोगी)

सरकार के उप सचिव।

